राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

(अपील संख्या–419/2015)

सत्य नारायण सैनी **–प्रार्थी–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, सह जिला प्रोग्राम कोर्डिनेटर, मनरेगा, बूंदी।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी।
4. विकास अधिकारी कम सह प्रोग्राम ऑफिसर (ईजीएस) पंचायत समिति, केशवरायपाटन, जिला बूंदी।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.07.2023

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अप्रैल, 2007 से मई 2010 तक ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत बड़ा खेड़ा, पंचायत समिति केशवराय पाटन, जिला बुंदी में कार्यरत था। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कराई गई जांच के पश्चात अधिक राशि व्यय होना बताते हुए सरपंच/सचिव/कनिष्ठ तकनीकि सहायक से समानुपात में राशि वसुल किये जाने के आदेश दिये गए। अपीलार्थी से 79,276/– की राशि वसुल किये जाने के आदेश पारित किये गए, जिसे हर माह दस हजार रुपये अपीलार्थी के वेतन के काटने के आदेश दिये गए थे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये उससे वसुली की जा रही है, जो उचित नहीं है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना अन्तर्गत पंचायत समिति केशवराय पाटन की ग्रामपंचायत बडा खेडा के कार्यो के संबंध में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना अन्तर्गत अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड लाखेरी की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की विस्तृत जांच ग्रेवल सडक निर्माण कार्य गेला से छोटू धोबी के रामछ कडी की और 23935.5/– तलाई खुदाई एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य, गोविन्द सागर तालाब बड़ा खेडा 23340/– तलाई खुदाई सुरक्षा दीवार निर्माण एवं भेरूजी के बाग मे रूपया 7626/–खरजा रोड निर्माण एवं नाली खटीको के मोहल्ले से कोलियो के मोहल्ले बस्ती से होकर बैरवा बस्ती रवारपुरा

चौराहे की और 93069/– और खंरजा निर्माण मय नाली प्राथमिक विधालय से मेज नदी की तीन गेला एवं खटीकी की और खुदराई एवं सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य 41569/– व रेबारी मोहल्ला बडा 1765.5/–तलाई खुदाई चारागाह भूमि पर 4270.5/– इत्यादि कार्यों मे मुल्यांकन से अधिक राशि व्यय किये जाने की व निर्माण कार्यों तथा लेखो तथा व्यय की विस्तृत जांच–विशेष सम्पुर्ण कार्यवाही स्वयं अपीलार्थी की उपस्थिति मे ही सम्पन्न हुई है इसलिए अपीलार्थी का यह कथन कि नैचुरल जस्टिस का वायलेसन किया गया पुर्णतया गलत है। कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) पंचायत समिति के.पाटन द्वारा जारी आदेश क्रमांक/पसके/मनरेगा/2013–14/1150 दिनांक 04.12.2013 पुर्णतया विधिसम्मत होने से अपीलार्थी की उक्त अपील मय कोस्ट मय स्थगन आदेश के काबिल निरस्त योग्य है।

3. दोनों पक्षों को अंतिम रूप से सुना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्यरूप से यह तर्क रहा है कि केवलमात्र जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से वसुली की जा रही है, जबकि जांच के दौरान अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है न ही अपीलार्थी के विरूद्ध वसुली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

4. अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यूायिक दृष्टुंत 2013(1) WLC (Raj.) 423 सागर मल जैन बनाम राजस्थोन राज्य् प्रस्तुत किया गया है। जिसमें नरेगा के कार्यों में अनियमितता के कारण भुगतान की वसुली बिना सुनवाई का अवसर दिये किये जाना उचित नहीं माना है।

5. अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से अपनी इस अपील में यह अभिकथन किया हैं कि अपीलार्थी के वेतन से वसुली किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी के उपरोक्त अभिकथन का खण्डन प्रत्यर्थी विभाग की ओर से नहीं किया गया है। अतः हम यह पाते है कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांक को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी के वेतन से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये एवं पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात ही वसूली के संबंध में न्यायसंगत आदेश पारित किया जाये। तब तक वसुली की कार्यवाही नहीं की जाये। कोई राशि वसुल की गई हो तो उसे लौटाया जाये।

7. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)